न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जौनपुर।
सी.एन.आर. सं०–UPJP 0100 1911 2022
जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1911/2022
राहुल मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा पुत्र ओंकारनाथ मिश्रा सा०मौ० नेवादा, थाना कप्तानगंज, जिला आजमगढ़

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मु०अ०सं०–837/12
धारा–419, 420, 467, 468, 471, 392 IPC
थाना–शाहगंज, जनपद–जौनपुर।

दिनांक–14.10.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त राहुल मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा के द्वारा मु०अ०सं०–837/12, धारा–419, 420, 467, 468, 471, 392 IPC, थाना–शाहगंज, जनपद–जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रेषित करते हुए कथन किया है कि आवेदक पूर्व में जमानत पर रिहा हो चुका है। एक दुर्घटना के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कारण उसके विरुद्ध एन.बी.डब्लू जारी हो गया। जिस पर अभियुक्त गिरफ्तार होकर जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। नियत तिथि पर साक्ष्य पर पुलिस बल न होने के कारण उसे न्यायालय में पेश नहीं किया गया और न ही साक्षी न्यायालय में उपस्थित आये। पूर्व में जमानत पर होने के कारण एन.बी.डब्लू होने के कारण न्यायालय में तलब किया गया और जिला जेल आजमगढ़ वापस कर दिया गया। इसलिये पुनः जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। आवेदक का कोई प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने की याचना किया है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त की जमानत पूर्व में गुण–दोष के आधार पर दिनांक 15.09.2015 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर एन.बी.डब्ल्यू जारी किया गया था। अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। पत्रावली में आरोप विरचन की कार्वयाही हो चुकी है तथा पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है। चूँकि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास भी दर्शित नहीं है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये बिना गुण–दोष पर विचार किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राहुल मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा द्वारा मु०अ०सं०–837/12, धारा–419, 420, 467, 468, 471, 392 IPC, थाना–शाहगंज, जनपद–जौनपुर के प्रकरण में मु0 50,000/–रू0 (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह विचारण के दौरान आरोप, साक्ष्य के समय उपस्थित होकर मामले का विधिपूर्ण ढंग से त्वरित निस्तारण करायेगा एवं साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

दिनांकः–14.10.2022

(शरद कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय,
जौनपुर।

Digitally signed by SARAD KUMAR TRIPATHI
Date: 2022.10.18 10:27:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court